राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

email:pd.rghs@rajasthan.gov.in Ph. No. 0141-2740252

No:F.1(240)RGHS/21-22/ 1184 Date: 09-03-2022

निर्देश

विषयः– राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत इनडोर, डे–केयर तथा आउटडोर उपचार/परामर्श के संबंध में।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा दिनांक 01.07.2021 से नकदविहीन इनडोर/डे–केयर चिकित्सा सुविधा एवं 01.11.2021 से नकदविहीन आउटडोर उपचार/परामर्श की सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रायः यह देखने में आया है कि लाभार्थियों द्वारा नियम विरूद्ध योजना का लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यह आवश्यक है कि आरजीएचएस कार्ड के माध्यम से लाभार्थी द्वारा नियमानुसार स्वयं एवं आरजीएचएस आश्रित परिवार का ही उपचार करवा दवाईयां प्राप्त की जावे। अतः इनडोर, डे–केयर एवं आउटडोर उपचार/परामर्श के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. समस्त लाभार्थी अनुमत माध्यमों से नकदविहीन लाभ प्राप्त करते समय आरजीएचएस कार्ड के साथ रोगी का फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाकर ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन हेतु मान्य होगें।

2. यह आवश्यक है कि समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालय आरजीएचएस के अन्तर्गत उपचार/परामर्श देने से पूर्व लाभार्थी के आरजीएचएस कार्ड से रोगी के फोटोयुक्त पहचान पत्र को देखकर भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन के दौरान नियम विरूद्ध योजना का लाभ प्राप्त करने के प्रकरण सामने आते है तो इसकी सूचना तत्काल आरजीएचएस कार्यालय को दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालय रोगी के आरजीएचएस कार्ड के साथ उसके फोटो युक्त पहचान पत्र की स्व सत्यापित प्रति का संधारण उसकी इनडोर/डे–केयर चिकित्सा पत्रावली में अनिवार्य रूप से करेंगे।

4. समस्त सहकारी दवा भण्डार एवं अनुमोदित निजी फॉर्मा स्टोर्स लाभार्थी को दवा उपलब्ध करा, *''आरजीएचएस के तहत कैशलेस दवा प्रदान'* के आशय की मुहर मूल परामर्श पर्ची पर लगाकर लौटायेंगे एवं साथ ही बिल की एक प्रति लाभार्थी को दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

No:F.1(240)RGHS/21-22/ 1185-1201 Date: 09-03-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
7. संयुक्त परियोजना निदेशक (प्रशासन/सतर्कता/क्लेम यूनिट), राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
9. संयु0/उप/सहा0 निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय।
10. प्रभारी/नियंत्रक/अधीक्षक, समस्त राजकीय चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
11. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
12. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
14. सहायक प्रोगामर, आरजीएचएस को भेजकर लेख है कि इसे आरजीएचएस वेबसाईट पर अपलोड करावें।
15. समस्त आरजीएचएस अनुमोदित निजी चिकित्सालयों को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से की जावे।
16. समस्त आरजीएचएस अनुमोदित निजी फॉर्मा स्टोर्स को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से की जावे।
17. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना